


कार्यालय आदेश सं- 698 / 2021

श्रीमती अर्चना कुमारी, नर्सिंग सिस्टर, सी.एस.एस.एच. पटना, वेतनमान 9300-34800+4800/-जीपी, लेवल-8 जिनका इस मंडल के कर्मचारी श्रीमति शबनम सिन्हा, नर्सिंग सिस्टर, उपमंडलीय चिकित्सालय गढ़हरा, वेतनमान 9300-34800+4800/-जीपी, लेवल-8 के साथ अन्तर मंडल पारस्परिक स्थानान्तरण पर सक्षमाधिकारी के द्वारा स्वीकृत है, एवं श्रीमति शबनम सिन्हा, नर्सिंग सिस्टर को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.09.2021 के तहत महाप्रबन्धक (कार्मिक) हाजीपुर के लिये विरमित किये गये के विरुद्ध श्रीमती अर्चना कुमारी, नर्सिंग सिस्टर जो महाप्रबन्धक (कार्मिक) हाजीपुर का कार्यालय आदेश सं 237/2021 पत्रांक सं 0 ईसीआर/एचआरडी/मेड/283/आईआरटी-एमटी/भाग-1 दिनांक 01.10.2021 के निर्देशानुसार चिकित्सा निदेशक/सी.एस.एस.एच. पटना के पत्रांक सं 0 पूमरे/मेड/स्था0/अराज/सी.एस.एस.एच./पटना/पार्ट-3 दिनांक 07.10.2021 के तहत विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 08.10.2021 को रिपोर्ट किए है, को समपद, वेतन एवं वेतनमान में चिकित्सा विभाग के उपमंडलीय चिकित्सालय गढ़हरा में अमुचिधि/गढ़हरा के अधिन पदस्थापित किए जाते है जो तत्काल प्रभाव से लागु होगा। दिनांक 08.10.2021 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को प्रतिहारत मानी जायगी।

धुँकी यह पारस्परिक स्थानान्तरण है अतः स्थानान्तरण संबंधी कोई भी लाभ देय नहीं है, एवं नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने यूनिट में स्थानान्तरण के हकदार नहीं होंगे।
कर्मचारी के आवश्यक पहचान हेतु फोटो, हस्ताक्षर का नमूना एवं बायें हाथ के अंगूठे का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित है।



उपर्युक्त पर सक्षम अधिकारी की आदेश प्राप्त है।

(विजय इंजीनियर)
सकाधि-111

कृते मरेप्र (कार्मिक)/सोनपुर
दिनांक-12.10.2021

पत्रांक सं-का/283/IV/चिकि/स्था0/सोन

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(01) महाप्रबन्धक (कार्मिक) हाजीपुर :- श्रीमती अर्चना कुमारी, नर्सिंग सिस्टर का सेवा पुस्तिका, फोल्डर एवं व्यक्तिगत मिसिल लेखा विभाग से सत्यापित कराकर इस कार्यालय में भेजने की व्यवस्था करे।

(02) मुचिधि/सोनपुर

(03) चिकित्सा निदेशक/सी.एस.एस.एच. पटना :- आपके संदर्भित पत्र दिनांक 07.10.2021 के आलोक में सूचनार्थ।

(04) वमविप्र/सोनपुर।

(05) अमुचिधि/गढ़हरा।

(06) मुकार्याधि/बिल/गढ़हरा।

(07) मुख्य मैट्रन/सोनपुर।

(08) संबंधित कर्मचारी, अभिलेख प्रति, कार्यालय प्रति।

(09) कार्यालय आदेशप्रति/संचिका प्रति

(10) मंडलमंत्री, ईसीआरकेयू, अजा-अजजा एवं ओबीसी एशो0 सोनपुर मंडल।

कृते मरेप्र (कार्मिक)/सोनपुर
12.10.21